गुण्डा एक्ट मु० सं० 24/2022
स्टेट V/s सरतानसिंह

17-3-2023

पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल सरतानसिंह पुत्र मालमसिंह, जाति– राजपूत, निवासी– सिवेरा, पुलिस थाना पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी व गैरसायल को सुना गया। सहायक अभियोजन अधिकारी ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसालय को सिरोही जिले से छः माह की अवधि के लिये निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल वर्तमान में मजदूरी करके जीवन यापन कर रहा है। वह अब किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य में संलिप्त नही है। गैरसायल के विरुद्ध मात्र दो मुकदमें ही दर्ज हुए है एवं दिनांक 14.11.2021 के बाद कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। गैरसायल ने कभी भी शांति भंग नही की है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल सरतानसिंह पुत्र श्री मालमसिंह, जाति– राजपूत, निवासी– सिवेरा, पुलिस थाना पिण्डवाडा, जिला– सिरोही के विरुद्ध पुलिस थाना पिण्डवाडा में आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत अपराध संख्या 341 दिनांक 16.7.2021 एवं 578 दिनांक 14.11.2021 को दर्ज हुए। जिनमें बाद अनुसंधान संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये। धारा 19/54 आबकारी अधिनियम में गैरसायल के विरुद्ध दर्ज अपराध संख्या 341 दिनांक 16.7.2021 व 578 दिनांक 14.11.2021 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां एवं आरोप पत्रों की छाया प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त अपराध संख्या 341 दिनांक 16.7.2021 व अपराध संख्या 578 दिनांक 14.11.2021 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 17.8.2021 व 06.1.2022 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि कि गैरसायल राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(III) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्ड़ा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल अवैध शराब बिक्री के अपराधों में लिप्त रहा है, किन्तु दिनांक 14.11.2021 के बाद गैरसायल के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है।

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुऐ गैरसायल सरतानसिंह पुत्र मालमसिंह, जाति– राजपूत, विासी– सिवेरा, पुलिस थाना पिण्डवाडा, जिला– सिरोही को राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 15 दिन की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र, पिण्डवाडा से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के पुलिस थाना क्षेत्र, पिण्डवाडा की सीमा में प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नही करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस–पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का [illegible] आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का [illegible] पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया ग[illegible] हो तथा निर्णय की प्रति थानाधिकार[illegible] को [illegible] प्रेषित की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:17:35 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर.खौड)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)